



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 श्रावण, 1945 (श०)

संख्या - 475 राँची, मंगलवार,

8 अगस्त, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

आदेश

17 जुलाई, 2023

संख्या-5/आरोप-1-38/2020 का.-3970--श्री प्रवीण कुमार गागराई (कोटि क्रमांक-817/03)

झा०प्र०से०, तत्कालीन अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गढ़वा के विरुद्ध झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची के पत्रांक-314 दिनांक 04.06.2020 द्वारा आरोप प्रतिवेदित किया गया है कि मुख्य सचिव, झारखण्ड एवं झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची द्वारा बार-बार निदेशित किये जाने के बावजूद श्री गागराई द्वारा न तो Lockdown की अवधि से पूर्व मासिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया और न ही Covid-19 के संक्रमणकाल में आयोग द्वारा प्रेषित शिकायत पत्रों पर कार्रवाई की गई तथा श्री गगराई द्वारा प्रतिवेदन भेजने में लापरवाही एवं शिथिलता बरती गई ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-3213, दिनांक 10.07.2020 एवं स्मार पत्रों द्वारा श्री गागराई से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री गागराई के पत्रांक-703, दिनांक 23.07.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें कहा गया कि झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची के पत्रांक-244, दिनांक 22.04.2020 एवं पत्रांक-293, दिनांक 29.05.2020 द्वारा 05-05 शिकायत पत्र, जिसका जाँच प्रतिवेदन उनके द्वारा पत्रांक-575, दिनांक 17.06.2020 एवं पत्रांक-588, दिनांक 22.06.2020 तथा पत्रांक-525, दिनांक 06.06.2020 द्वारा ईमेल के माध्यम से झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची को भेज दी गई है।

श्री गागराई के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-1374, दिनांक 04.03.2023 द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची से मंतव्य की माँग की गयी। झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची के पत्रांक-313 दिनांक 09.05.2023 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है। उक्त मंतव्य में उल्लेख किया गया कि अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गढ़वा को आयोग द्वारा दिनांक 31.10.2020 तक प्रेषित कुल 15 शिकायतों में से 11 शिकायत पत्र पर कार्रवाई प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराया गया है। किन्तु उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन में उनके द्वारा किसी भी मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 की धारा-15 के तहत सुनवाई नहीं की गई है। बल्कि उनके द्वारा उक्त मामलों में जाँच करवाते हुए सम्बन्धित जाँच प्रतिवेदन को अग्रसारित मात्र किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि श्री गागराई द्वारा जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में संबंधित कार्यों में रुचि नहीं ली जा रही है।

श्री गागराई के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत, श्री प्रवीण कुमार गागराई झा0प्र0से0, तत्कालीन अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गढ़वा को भविष्य में सचेत रहने के निर्देश के साथ इस मामले को संचिकास्त किया जाता है।

चिन्टू दोराईबुरु

सरकार के उप सचिव।
